

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

कार्यालय आदेश

का.आ.सं.-15/बि.स.सं.-01-03/2018-सा.प्र. . . 08 . . . /पटना-15, दिनांक 04.01.2019

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या 468, दिनांक 15.11.2018 द्वारा बिहार सचिवालय सेवा के अंतर्गत निम्नांकित नवनियुक्त सहायकों को उनके नाम के सामने स्तम्भ-7 में अंकित तिथि से औपबधिक योगदान स्वीकृत करते हुए स्तम्भ-8 में अंकित विभाग/संलग्न कार्यालय में अगले आदेश तक के लिये पदस्थापित किया जाता है:-

क्र. सं.	का.आ.स. 468, दि. 15.11.18 का क्रमांक	नव-नियुक्त सहायक का नाम	रोल नं०	मेधा क्रमांक	जन्म तिथि	सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान की तिथि	पदस्थापित विभाग/संलग्न कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5	श्री गोपाल कुमार गोपी	116340	6	17/10/78	26-12-2018	आयुक्त कार्यालय, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ
2	6	श्री आशुतोष कुमार	106580	7	15/01/88	10-12-2018	आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर
3	23	श्री पंकज कुमार	101884	25	13/01/89	24-12-2018	पंचायती राज विभाग
4	39	श्री अमरनाथ दुबे	113592	41	20/09/91	28-12-2018	पंचायती राज विभाग
5	47	श्री राजीव कुमार वर्मा	108232	50	05/12/85	13-12-2018	ग्रामीण कार्य विभाग
6	64	श्री नीतीश कुमार	113689	70	15/02/84	10-12-2018	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
7	82	श्री सुशील कुमार	105590	91	18/01/88	19-12-2018	ग्रामीण कार्य विभाग
8	88	श्री दीपक कुमार	106395	97	07/07/90	24-12-2018	कृषि (भूमि संरक्षण) विभाग
9	89	श्री पन्ना लाल	110493	98	15/01/80	12-12-2018	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
10	103	श्री अवधेश रंजन	102383	112	07/05/82	27-12-2018	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
11	104	श्री मनीष राज	109852	113	31/05/83	14-12-2018	वाणिज्य-कर विभाग
12	105	श्री सुबोध कुमार	109971	114	20/01/85	31-12-2018	राज्य निर्वाचन आयोग
13	107	श्री राज कुमार	102203	116	15/12/86	19-12-2018	वाणिज्य-कर विभाग
14	123	श्री विकास कुमार	105792	135	04/02/88	19-12-2018	निर्वाचन विभाग
15	131	श्री प्रकाश चन्द्र	109928	146	10/01/83	27-12-2018	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
16	143	श्री राजेश कुमार	102975	159	02/11/89	27-12-2018	मुख्यमंत्री सचिवालय
17	152	श्री राजेश कुमार	113188	168	05/02/86	28-12-2018	स्वास्थ्य विभाग
18	161	श्री रुद्रेश कुमार	100607	180	21/01/82	11-12-2018	परिवहन विभाग
19	167	श्री रोहित कुमार	115574	187	14/08/87	19-12-2018	बिहार कर्मचारी चयन आयोग
20	177	श्री रामनेक कुमार	111654	207	29/12/86	21-12-2018	पुलिस महानिदेशक का कार्यालय
21	178	श्री सरोज कुमार	105300	209	09/08/87	18-12-2018	बिपाई
22	211	श्री रवि कुमार	116189	276	03/04/91	17-12-2018	बिहार राज्य खाद्य आयोग (खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग)
23	227	श्री नन्द कुमार	105414	365	16/08/85	28-12-2018	निगरानी विभाग
24	237	मो० शाहनवाज आलम	101000	406	03/01/87	21-12-2018	स्वास्थ्य विभाग
25	263	श्री ललन चौधरी	113292	583	09/03/90	17-12-2018	सामान्य प्रशासन विभाग (बि०प्र०सू०मिशन के लिए)
26	272	श्री हंस कुमार चौधरी	111995	737	05/02/82	28-12-2018	कृषि विभाग
27	289	श्री रमण कुमार	103767	1195	18/01/88	20-12-2018	नगर विकास एवं आवास विभाग
28	315	श्री सुबोध कुमार सिंह	106157	8761	01/01/82	31-12-2018	आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना

2. उपर्युक्त सभी नव नियुक्त सहायकों को निदेश दिया जाता है कि पटना स्थित विभाग/कार्यालय में दिनांक 07.01.2019 एवं पटना से बाहर पदस्थापित कार्यालय में दिनांक 08.01.2019 तक योगदान करें। उक्त समय सीमा के भीतर योगदान करने वाले सहायकों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-7 में अंकित योगदान की तिथि से ही वेतनादि का भुगतान पदस्थापित विभाग/कार्यालय द्वारा तीन माह तक औपबधिक रूप से किया जायेगा। उक्त निर्धारित समय सीमा के बाद योगदान देने वाले सहायकों को पदस्थापित किये गये विभाग में योगदान की तिथि से वेतन भुगतान होगा।

3. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा नियुक्त कर्मियों के लिये दो प्रतियों में सेवा-पुस्त खोली जायेगी। नियुक्ति-पत्र के प्रति के साथ सेवा-पुस्त की एक प्रति संबंधित विभाग/कार्यालय को भेजी जायेगी। सेवा-पुस्त में नियुक्त कर्मियों का एक अभिप्रमाणित फोटोग्राफ चिपका रहेगा। संबंधित विभाग/कार्यालय को यह निदेश दिया जाता है कि नव-नियुक्त सहायकों का तीन माह के लिये औपबधिक रूप से योगदान स्वीकृत करेंगे और नियुक्ति पदाधिकारी से नियुक्ति-पत्र की संपुष्टि करा लेंगे। यदि तीन माह के अंदर यह संपुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नव-नियुक्त सहायक के वेतनादि की निकासी तबतक नहीं की जाएगी जबतक सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इनकी नियुक्ति-पत्र की संपुष्टि नहीं हो जाती है।

4. प्रथम वेतन-विपत्र के साथ नियुक्ति-पत्र की अभिप्रमाणित फोटोप्रति कोषागार में भेजी जायेगी, जिससे नियुक्ति पदाधिकारी के हस्ताक्षर का मिलान कोषागार पदाधिकारी पूर्व से कोषागार में उपलब्ध कराये गये नियुक्ति-पत्र से कर लेंगे।

5. संबंधित विभाग/कार्यालय पूर्व से सेवारत नवनियुक्त सहायकों के योगदान स्वीकृति/वेतनादि की निकासी की कार्यवाही त्याग पत्र स्वीकृति आदेश/विरमन आदेश की प्रति प्राप्त करने के पश्चात् करेंगे।

6. नव-नियुक्त कर्मियों का नियुक्ति-पत्र राज्य स्तरीय राजपत्र के असाधारण अंकों में प्रकाशित करने हेतु अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना के अनुरोध किया गया है। कार्यालय प्रधान/ योगदान स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी से अनुरोध होगा कि वे राजपत्र की एक प्रति अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना से भी नियुक्ति-पत्र की सत्यता की जाँच कर लेंगे।

7. नव-नियुक्त कर्मियों का नयी अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत स्थायी सेवा-निवृत्ति लेखा संख्या (PRAN NUMBER) अवश्य रूप से खोल लिया जाय।

8. नव-नियुक्त कर्मियों का आयोग से प्राप्त अनुशंसा में तथा उनसे प्राप्त प्रमाण-पत्रों आदि में त्रुटि/फर्जी/गड़बड़ी भविष्य में पाये जाने पर नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी। तदनुसार फलाफल से संबंधित विभाग को अवगत करा दिया जायेगा।

9. नियुक्ति-पत्र की प्रकाशित राजपत्र की प्रति संबंधित कोषागार पदाधिकारी को भेजी जायेगी, जिससे कोषागार पदाधिकारी नियुक्ति-पत्र से मिलान कर संतुष्ट हो लेना चाहेगे।


10. नव-नियुक्त कर्मियों को पदस्थापित विभाग/कार्यालय में योगदान करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।


(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव


ज्ञापांक-15/बि.स.से.-01-03/2018-सा.प्र. . . 08 . . . /पटना-15, दिनांक 04.01.2019

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव


ज्ञापांक-15/बि.स.से.-01-03/2018-सा.प्र. . . 08 . . . /पटना-15, दिनांक 04.01.2019

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित नव-नियुक्त सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव


ज्ञापांक-15/बि.स.से.-01-03/2018-सा.प्र. . . . 08 . . . /पटना-15, दिनांक . . . 04.01.2019

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त एवं कार्यालय प्रधान, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-15/बि.स.से.-01-03/2018-सा.प्र. . . . 08 . . . /पटना-15, दिनांक . . . 04.01.2019

प्रतिलिपि:- श्री शकील अहमद, आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव